बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका-सं०सं०-स०क०निग०-60/2018-............7364..... श्रीमती बबीता राय, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण, पटना सम्प्रति सिमरी, बक्सर के विरुद्ध आदेश की अवहेलना करने, गैर जवाबदेही तथा अनाधिकृत रूप से स्वेच्छाचारिता पूर्वक मुख्यालय से अनुपस्थित रहने एवं सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने आदि आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र- 'क' गठित कर अपने पत्रांक-2603 दिनांक-28.11.2014 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोपों कें लिए श्रीमती बबीता राय, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण, पटना से विभागीय पत्रांक-26 दिनांक-05.01.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक-39 दिनांक-06.02.2015 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त आलोक में श्रीमती राय से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-2845 दिनांक-03.07.2015 के द्वारा तत्कालीन अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती बबीता राय तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण पटना को चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित प्रपत्र- 'क' के संबंध में सूचना की मांग सूचनावेदक द्वारा किया गया, जिसके क्रम में श्रीमती राय के विरूद्ध पूर्व में की गयी कार्रवाई की पुनः समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती राय के विरुद्ध संकल्प संख्या-2329 दिनांक-26.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-264 दिनांक-25.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोप को प्रमाणित पाया गया। विभागीय पत्रांक-1116 दिनाक-16.03.2017 एवं पत्रांक-1721 दिनांक-26.04.2017 द्वारा श्रीमती राय से द्वितीय कारण पृच्छा की माग की गयी। श्रीमती राय द्वारा पत्रांक-185 दिनांक-17.05.2017 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग को समर्पित किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती बबीता राय, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण, पटना सम्प्रति सिमरी, बक्सर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के अन्तर्गत दो (02) वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

इसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3372 दिनांक-26.07.2017 द्वारा श्रीमती बबीता राय, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण, पटना सम्प्रति सिमरी, बक्सर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के अन्तर्गत दो (02) वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गई।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्रीमती राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-9220/2018 दायर किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-20.02.2025 को पारित न्यायादेश में विभागीय दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श की माँग की गई। विधि विभाग द्वारा इस मामले में पारित न्यायादेश के विरूद्ध LPA दायर नहीं किये जाने का परामर्श दिया गया है।

उक्त न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती बबीता राय, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण, पटना सम्प्रति सहायक निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-3372 दिनांक-26.07.2017 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये गये शास्ति को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्रीमती बबीता राय, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण, पटना सम्प्रति सहायक निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-3372 दिनांक-26.07.2017 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये गये शास्ति को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-60/2018- 7364 पटना, दिनांक :- 10.11.2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/11/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-60/2018- 7364 पटना, दिनांक :- 10.11.2025

ई-मेल / निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना /प्रमण्डलीय आयुक्त पटना / निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था0), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार/ विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती बबीता राय, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण, पटना सम्प्रति सहायक निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/11/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।